

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सवाईमाधोपुर
पीठासीन अधिकारी—जगदीश आर्य

अपील संख्या 27 / 2024

तारीख रजू 03.04.2024

रमेश पुत्र सांवलराम मीना निवासी मित्रपुरा तहसील मित्रपुरा

— अपीलार्थी

बनाम

सरकार जरिये तहसीलदार, मित्रपुरा

— रेस्पोजेन्ट

उपस्थित — श्री चम्पालाल मीना एडो
पेरोकार राजस्व

— अपीलार्थी
— रेस्पोजेन्ट

निर्णय


दिनांक 13.05.2024

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार, मित्रपुरा द्वारा मुकदमा नं0 755/2024 मे पारित आदेश दिनांक 15.02.2024 के विरुद्ध प्रस्तुत की है जिसके द्वारा अपीलार्थी को ग्राम मित्रपुरा के आराजी खसरा नम्बर 722 रकबा 0.05 है0 किस्म चरागाह पर संवत 2080 में फसल रबी में अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण करने का कर्ता मानकर अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने, शास्ति आरोपित करने के साथ साथ पश्चातवर्ती अतिचारी मानते हुए 30 दिवस के सिविल कारावास की सजा के दण्ड से दण्डित करने का आदेश पारित किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोजेन्ट की तलबी जरिये सम्मन की गई तथा अपीलाधीन निर्णय से संबंधित मूल पत्रावली तलब की गई। रेस्पोजेन्ट की ओर से राजकीय पेरोकार उपस्थित आये तथा अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन आदेश संबंधी पत्रावली प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

वकील अपीलार्थी ने अपील मे वर्णित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस मे कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि के विरुद्ध एवं पत्रावली के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। यह कि अधिनस्थ न्यायालय ने कानूनी प्रावधानों एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों का सही प्रकार से विवेचन नहीं किया गया है तथा गलत प्रकार से अपना निर्णय पारित किया गया है जो निरस्त होने योग्य है। यह कि उक्त आराजीयात ख0नं0 722 रकबा 0.05 है0 किस्म चरागाह वाके ग्राम मित्रपुरा पर अपीलान्त का कोई अतिक्रमण नहीं है तथा ना ही अपीलान्त कोई पश्चातवर्ती अतिचारी रहा है। पटवारी हल्का द्वारा अपनी मर्जी से अपीलान्त के विरुद्ध गलत एवं निराधार रिपोर्ट पेश की है। अपीलार्थी द्वारा आराजी जेर बहस अपील पर कोई कब्जा नहीं होने और ना ही कभी भविष्य में कब्जा करने बाबत शपथ पत्र पेश किया है। अन्त मे वकील अपीलान्त द्वारा अपील स्वीकार कर अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.02.2024 को निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया।

वकील अपीलार्थी द्वारा की गई बहस का खण्डन करते हुए पेरोकार सरकार ने बहस मे कथन किया कि अपीलार्थी को विधिवत नोटिस जारी करने के पश्चात ही अपीलार्थी को सुनवाई


अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

सबूत प्रस्तुत करने का अवसर दिये जाने व पश्चातवर्ती अतिक्रमण साबित हो जाने के पश्चात ही अपीलार्थी निर्णय पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की अनियमितता नहीं है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अदालत मातहत का निर्णय यथावत रखा जावे।

उभय पक्ष की बहस सुनने उस पर मनन करने तथा अपीलार्थी निर्णय की मूल पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि पटवारी हल्का द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध अतिक्रमण की रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर अपीलार्थी को धारा 91(3) के तहत नोटिस जारी किया गया है जिस पर अपीलार्थी की पुत्री को तामील होने पर अदालत मातहत के समक्ष दिनांक 15.02.2024 को उपस्थित हुए। जहां तक अतिक्रमण आराजी पर अपीलार्थी के पश्चातवर्ती अतिचारी होने का प्रश्न है तो अदालत मातहत की पत्रावली में पश्चातवर्ती अतिक्रमण के संबंध में पारित निर्णय, इसके संबंध में कोई दस्तावेज, रिपोर्ट, नोटिस आदि संलग्न नहीं है। अपीलान्ट द्वारा बहस में अपीलान्ट का अतिक्रमण भूमि पर अतिक्रमण नहीं होना अवगत कराया है एवं अतिक्रमण नहीं होने तथा भविष्य में अतिक्रमण नहीं करने के संबंध में शपथ पत्र भी पेश किया है। अदालत मातहत द्वारा निर्णय दिनांक 15.02.2024 में अपीलान्ट के ख0नं0 722 रकबा 0.05 है0 में फसल रबी में अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण करना तथा पश्चातवर्ती अतिक्रमण होना पाया जाता है किन्तु पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के अनुसार अपीलार्थी का उक्त आराजी ख0नं0 722 रकबा 0.05 है0 पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण होना प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है जिसमें शास्ति का आदेश यथावत रखा जाता है तथा अपीलान्ट को दिये गये 30 दिवस के सिविल कारावास के दण्ड को निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 13/05/24 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।



(जगदीश आर्य)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सवाईमाधोपुर